

1st April, 2026

The General Manager
Dept. of Corporate Services
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai 400 001

Dear Sir,

Subject: Publication of Notice regarding Special Window for transfer and dematerialisation of physical shares

We enclose, in terms of Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, copy of the newspaper clipping of the Notice published on the subject matter on 1st April, 2026 in Delhi editions of 'Jansatta'(Hindi), newspaper.

Yours Faithfully,
For International Travel House Limited

Abhishek Chawla
Company Secretary & Compliance Officer

Enclosed: as above

**इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस लिमिटेड**

सीआईएन: L63040DL1981PLC011941

पंजीकृत कार्यालय: ट्रैवल हाउस, टी - 2, सामुदायिक केंद्र,

शेख सराय, चरण - 1, नई दिल्ली - 110 017

टेलीफोन: 011-2601 7808

ई-मेल: Investor_TH@ith.co.in वेबसाइट: www.internationaltravelhouse.in**भौतिक शेयरों के हस्तांतरण और डीमैटरियलाइजेशन के लिए विशेष विंडो**

कृपया ध्यान दें कि इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस लिमिटेड ('कंपनी') के फिजिकल शेयरों के ट्रांसफर और डीमैटरियलाइजेशन ('डीमैट') के लिए एक विशेष विंडो, सेबी सर्कुलर संख्या HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/ I/3750/2026 दिनांक 30 जनवरी, 2026 ('सेबी सर्कुलर') के अनुसार, 4 फरवरी, 2027 तक खुली है।

उपर्युक्त विशेष विंडो उन भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों के लिए उपलब्ध है, जिन्हें 1 अप्रैल, 2019 से पहले बेचा या खरीदा गया था। यह विशेष विंडो उन स्थानांतरण अनुरोधों के लिए भी उपलब्ध होगी, जो पहले जमा किए गए थे, लेकिन दस्तावेजों या प्रक्रिया में कमी अथवा किसी अन्य कारण से अस्वीकृत, वापस लौटा दिए गए, या जिन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके अलावा, हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरिती के बीच विवाद से जुड़े मामले, साथ ही वे शेयर जो 'निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष' में हस्तांतरित किए गए हैं, इस अवधि के दौरान प्रोसेस नहीं किए जाएंगे।

कृपया ध्यान दें कि केवल उन्हीं अनुरोधों पर शिष्टविचार विंडो के तहत विचार किया जाएगा, जिनके साथ मूल शेयर प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्रों), हस्तांतरण विलेख (विलेखों) और सेबी के सर्कुलर के अनुसार अन्य सहायक दस्तावेज संलग्न होंगे। इस अवधि के दौरान ट्रांसफर किए गए शेयर, अनिवार्य रूप से सिर्फ डीमैट मोड में ही पाने वाले के खाते में जमा किए जाएंगे, और ट्रांसफर के रजिस्ट्रेशन की तारीख से एक साल की अवधि के लिए लॉक-इन में रहेंगे। इस अवधि के दौरान, ऐसे शेयरों को ट्रांसफर, लियन-मार्क या गिरवी नहीं रखा जा सकता है।

पात्र शेयरधारक, संबंधित दस्तावेजों के साथ हस्तांतरण विलेख एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड (यूनिट: इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस लिमिटेड), कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, 179-180, तीसरी मंजिल, डीएसआईडीसी शेड, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली -110020 पर जमा करें या helpdeskdelhi@mcsregistrars.com अथवा admin@mcsregistrars.com पर लिखें।

इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस लिमिटेड

अभिषेक चावला

कंपनी सचिव

दिनांक: 30 मार्च, 2026